

/font>

Title: Need to conduct re-survey of eligible occupants on forest land in the State of Chhattisgarh- Laid.

श्री सोहन पोटाई (कांकर) : महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में बसे लाखों अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग 24 अक्टूबर, 1980 से पूर्व वन भूमि में कास्त एवं आवास हेतु काबिज हैं फिर भी वन व्यवस्थापन अधिनियम 1978 के तहत उनके वैध कब्जों का व्यवस्थापन तत्समय नहीं किया गया।

तत्कालिक राज्य म0प्र0 शासन के द्वारा वन सचिव के माध्यम से शासन कब्जाधारियों की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले के परीक्षण हेतु जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायिक अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया गया। पात्रता की सूची राजस्व विभाग और वन विभाग को संयुक्त सर्वे कर राज्य शासन की अनुशंसा के साथ केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जानी थी एवं पात्र व्यक्तियों के सत्यापन तथा तदानुसार उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभी वन ग्रामों को यथास्थिति कायम रखा जाए, का आश्वासन मिलता रहा।

यह भी कहा गया कि न्यायिक परीक्षण के उपरांत व्यवस्थापक की पात्रता नहीं मिलती हो तो संरक्षित एवं आरक्षित वनों से अन्यत्र पुनर्वास के हकदार होंगे। उन्हें अन्यत्र उपलब्धतानुसार कास्त एवं आवास हेतु भूमि आबंटित की जायेगी। तब तक के वर्तमान अस्थायी निवास स्थानों पर ही रहेंगे। इस अवधि में उन्हें रोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ दिया जायेगा एवं उनके अस्थायी आवास हेतु आवश्यक व्यवस्था होगी।

लेकिन आज तक इनका न ही व्यवस्थापन हुआ, न ही शासन से मिलने वाला योजना का लाभ इन्हें मिल रहा है। अतः केन्द्र सरकार से व वन पर्यावरण मंत्री से निवेदन हे कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः पात्रता सूची बनवाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देवें।